निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1279) पटना, वृहस्पतिवार, 24 जुलाई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 जुलाई 2025

सं० ***वि०स०वि०-17/2025-3164/वि०स०***—।''बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त्त) विधेयक, 2025'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-23 जुलाई, 2025 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-14/2025]

बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025

दुकानों और प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मकारों के रोजगार के नियमन और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित विधियों को संशोधित और समेकित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक मामलों के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में यह बिहार राज्य के विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

अध्याय I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**–
   (1) इस अधिनियम को बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) अधिनियम, 2025 कहा जाएगा।
   (2) यह सम्पूर्ण बिहार में लागू होगा।
   (3) यह उस तारीख से लागू होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी।
   (4) यह ऐसी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां दस या दस से अधिक कामगार नियोजित हैं।

2. **परिभाषा**:–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
   (क) **''मुख्य सुकारक''** से अभिप्रेत है, धारा 18 की उपधारा (1) के परंतुक के तहत नियुक्त मुख्य सुकारक।
   (ख) **''सुकारक''** से अभिप्रेत है, धारा 18 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त सुकारक।
   (ग) **''दिन''** से मध्य रात्रि से आरंभ होने वाली चौबीस घंटे की अवधि अभिप्रेत है;
   (घ) **''नियोक्ता''** से अभिप्रेत है, ऐसा मालिक या व्यक्ति जो किसी दुकान या किसी प्रतिष्ठान के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण रखता है और इनके अंतर्गत निम्नलिखित आते है,–
      (i) किसी फर्म या व्यक्तियों के समूह की दशा में फर्म या समूह का कोई भागीदार या सदस्य;
      (ii) किसी कंपनी की दशा में कंपनी का निदेशक;
      (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी दुकान या किसी प्रतिष्ठान की दशा में, यथास्थिति, केंदीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी दुकान या प्रतिष्ठान के कार्यो का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति;
   (ङ) **''प्रतिष्ठान''** से अभिप्रेत ऐसा परिसर जो ऐसे किसी कारखाने या किसी दुकान का परिसर नहीं है,–
      (i) जहाँ कोई व्यापार, कारोबार, निर्माण या उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक या उसका सहायक कोई कार्य या कोई भी पत्रकारिक या मुद्रण कार्य या बैंककारी, बीमा, स्टॉक और शेयर, दलाली या उत्पादन विनिमय का कार्य किया जाता है; या
      (ii) जिसका प्रयोग नाट्यशाला, सिनेमा या सार्वजनिक आमोद–प्रमोद या मनोरंजन के किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है, जिसपर कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।
      (iii) या ऐसे अन्य प्रतिष्ठान जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रतिष्ठान घोषित कर सकती है, जिसपर अधिनियम लागू होता है।
   (च) **''अधिसूचना''** से अभिप्रेत है; राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना
   (छ) **''विहित''** से अभिप्रेत है; इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
   (ज) **''दुकान''** से अभिप्रेत ऐसा कोई परिसर जहां खुदरा या थोक माल का विक्रय किया जाता है, अथवा जहां ग्राहकों को सेवाएं दी जाती है और इसके अंतर्गत कोई कार्यालय, कोई भंडारगृह, गोदाम, भांडागार या कार्यगृह या कार्यस्थल है, जहां तैयार माल का वितरण या पैकिंग या पुनः पैकिंग की जाती है;
   (झ) **''मजदूरी''** से धन के रूप में अभिव्यक्त या इस प्रकार अभिव्यक्त होने के लिए समर्थ सभी पारिश्रमिक (वेतन, भत्तों के रूप में या अन्यथा) अभिप्रेत है, जो यदि नियोजन के अभिव्यक्त या विविक्षित निबंधन पूरे कर दिए जांए तो किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बाबत संदाय होंगे और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं–
      (i) किसी पंचाट या पक्षकारों के बीच हुए समझौते के अधीन या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी आदेश के अधीन संदाय कोई भी पारिश्रमिक;
      (ii) कोई भी पारिश्रमिक, जिसके लिए नियोजित व्यक्ति अतिकालिक कार्य या छुट्टी या किसी छुट्टी अवधि के संबंध में हकदार है;
      (iii) नियोजन के निबंधनाधीन संदेय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक (चाहे बोनस के नाम से या किसी अन्य नाम से);

(iv) कोई भी राशि, जो नियोजित व्यक्ति के नियोजन की समाप्ति के कारण से किसी भी विधि, संविदा या साधन के तहत देय है, जो कटौतियों सहित या कटौतियों के बिना ऐसी राशि के भुगतान का प्रावधान करती है;

(v) कोई भी राशि, जिसके लिए नियोजित व्यक्ति तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के तहत बनाई गयी किसी भी योजना के तहत हकदार है; और

(vi) मकान किराया भत्ता,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं–

(अ) कोई बोनस, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत देय जो नियोजन के निबंधनाधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है या जो किसी अधिनिर्णय या पक्षकारों के बीच समझौते के अधीन या किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन देय नहीं है;

(आ) राज्य सरकार के सामान्य या विषेष आदेष द्वारा मजदूरी की गणना से बाहर किये गये किसी भी आवास या विद्युत, पानी, चिकित्सा देखभाल या अन्य सुविधा या अन्य कोई सेवा की आपूर्ति का मूल्य,

(इ) किसी पेंशन या भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नियोक्ता द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत हो;

(ई) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य;

(उ) नियोजित व्यक्ति को, उसके नियोजन की प्रकृति से उसके द्वारा किए गए विशेष व्ययों को चुकाने के लिए संदत्त कोई रकम;

(ऊ) उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट मामलों से भिन्न किसी मामले में नियोजन की समाप्ति पर संदेय कोई उपदान;

(ऋ) **''सप्ताह''** से अभिप्रेत है, शनिवार की आधी रात या अन्य रात से शुरू होने वाली सात दिनों की अवधि, जिसे मुख्य सुकारक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखित में अनुमोदित किया जा किया जा सकता है;

(ट) **''कर्मचारी''** से अभिप्रेत है, कोई भी व्यक्ति (प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (अअ) के तहत परिभाषित प्रशिक्षु को छोड़कर) जो किसी भी दुकान और प्रतिष्ठान में कोई हस्तचालित, अकुशल, कुशल, तकनीकी, संक्रियात्मक, लिपिकीय या पर्यवेक्षकीय कार्य करने के लिए पारिश्रमिकी या ईनाम के लिए, चाहे रोजगार की शर्तें अभिव्यक्त या विविक्षित हों, नियोजित है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है––

(क) जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत है; या

(ख) ऐसी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्यरत है जहां श्रमिक कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत लाभ पाने के हकदार हैं;

(ठ) **''परिवार के सदस्य''** से अभिप्रेत है, नियोक्ता के करीबी रिश्तेदार जैसे माता, पिता, पत्नी, पति, बेटा, बेटी बहू, दामाद, भाई, बहने, पोता, पोती, नाती और नातिन।

(ड) **''प्रबंधकीय''** से अभिप्रेत है दुकान और प्रतिष्ठान के प्रबंधन से संबंधित कार्य निपटाने वाला कर्मकार।

(ढ) **'' पर्यवेक्षकीय ''** से अभिप्रेत है दुकान और प्रतिष्ठान की देखरेख से संबंधित कार्य निपटाने वाला कार्यकर्त्ता।

(ण) **''दुराचार''** का अर्थ–

i. किसी वरिष्ठ के किसी भी वैद्य आदेश के प्रति जानबूझकर अवज्ञा या अवहेलना चाहे अकेले या अन्य के साथ मिलकर

ii. नियोक्ता के संपति की जानबूझकर क्षति या हानि

iii. रिश्वत या कोई अन्य अवैध परितोषण लेना या देना

iv. नियोक्ता की व्यवसायिक संपति के संबंध में धोखाधड़ी या बेईमानी

v. बिना छुट्टी के आदतन अनुपस्थिति या दस दिनों से अधिक समय तक बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना

vi. प्रतिष्ठान पर लागू किसी भी कानून का आदतन उल्लंघन

vii. आदतन देर से उपस्थिति

viii. प्रतिष्ठान में काम के घंटो के दौरान दंगई या उच्छृंखल व्यवहार या अनुशासन को तोड़ने वाला कोई कार्य

ix. कार्य के प्रति आदतन या घोर लापरवाही या उपेक्षा

x. किसी भी कानून या कानून के बल वाले नियम के प्रावधानों के उल्लंघन में काम पर हड़ताल करना, दूसरों को काम पर हड़ताल के लिए उकसाना

xi. प्रतिष्ठान पर लागू स्थायी आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत प्रमाणित।

3. (1) इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगें–

(क) किसी दुकान में या किसी प्रतिष्ठान में गोपनीय, प्रबंधकीय या पर्यवेक्षणीय प्रकृति का पद रखने वाला कोई कर्मकार;

(ख) ऐसा कोई कर्मकार जिसका कार्य अंतर्निहित रूप से आन्तरायिक है;

(ग) सरकार या स्थानीय प्राधिकार का कोई कार्यालय;

(घ) भारतीय रिर्जव बैंक का कोई भी कार्यालय;

(ङ) किसी नियोक्ता के परिवार का कोई सदस्य।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कर्मकारों की सूची दुकान या प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर और वेबसाइट के अभाव में दुकान या प्रतिष्ठान में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी और उसकी एक प्रति सुकारक को भेज दी जाएगी।

4. मौजूदा श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा।– इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका कोई कर्मकार तत्समय प्रवृत किसी विधि, पंचाट, करार, संविदा, रूढ़ि या प्रथा के अधीन हकदार है।

अध्याय II
पंजीकरण और श्रमिक पहचान संख्या जारी करना

5. पंजीकरण और श्रमिक पहचान संख्या जारी करना।–

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ पर होने पर 10 या 10 से अधिक कर्मकार को नियोजित करने वाली प्रत्येक दुकान एवं प्रतिष्ठान, प्रारंभ की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर या उस तारीख से जिस दिन ऐसी दुकान या प्रतिष्ठान अस्तिव में आया और श्रमिक पहचान संख्या अभिप्राप्त किया, पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे।

(2) 10 या 10 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक दुकान और प्रतिष्ठान, ऐसे प्राधिकार को और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, दुकान या प्रतिष्ठान को पंजीकृत करेगा और श्रमिक पहचान संख्या एक सप्ताह में ऐसे प्रारूप में जारी करेगा, जो विहित किया जाए।

अध्याय III
नियोक्ता के कर्तव्य

6. नियोक्ता के कर्तव्य।–

(1) मजदूरी अदायगी का उत्तरदायित्व – प्रत्येक नियोजक अपने कर्मचारियों को इस अधिनियम के अधीन भुगतान की जानेवाली सभी मजदूरी के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) मजदूरी के अवधि का निर्धारण– प्रत्येक नियोजक वैसी अवधि निर्धारित करेगा, जिसके संबंध में मजदूरी देय होगी परंतु मजदूरी की अवधि एक महीना से अधिक की नहीं होगी।

(3) मजदूरी अदायगी का समय – प्रत्येक कर्मचारी की मजदूरी उस वेतन अवधि के अन्तिम दिन के बाद सातवां दिन की समाप्ति से पहले अदा कर दी जायगी, जिसके लिए मजदूरी देय है।

बशर्ते कि यदि कर्मचारी इस उपधारा के अधीन अनुज्ञेय अंतिम दिन तक अनुपस्थित हो तो काम पर उसकी पुनरूपस्थिति के दिन से तीन कार्य दिवस की समाप्ति से पहले अथवा भुगतान की माँग पर मजदूरी अदा कर दी जायगी।

बशर्ते कि जहाँ किसी कर्मचारी का नियोजन, नियोक्ता के आदेष के तहत या उसके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है वहाँ उसके नियोजन की समाप्ति के दिन से दूसरा कार्यदिवस की समाप्ति से पहले उसके द्वारा अर्जित मजदूरी अदा कर दी जायगी।

(4) मजदूरी एवं अन्य बकाया का भुगतान कर्मचारी के बैंक/डाकघर खाता के माध्यम से– सभी मजदूरी एवं अन्य बकाया का भुगतान कर्मचारी के बैंक/डाकघर खाता में किया जायेगा। अगर कर्मचारी का बैंक/डाकघर में खाता नहीं है, तो नियोजक कर्मचारी के नियोजन के 30 दिनों के अन्दर बैंक/डाकघर में खाता खुलवाने में सहायता प्रदान करेंगे।

(5) प्रत्येक कर्मचारी को सेवा–कार्ड उपलब्ध कराया जाना–प्रत्येक प्रतिष्ठान के प्रत्येक कर्मचारी को नियोजित करने के 10 दिन के भीतर उसके नियोजक द्वारा विहित प्रपत्र में सेवा–कार्ड प्रदान किया जायेगा।

(6) किसी भी महिला कर्मचारी के साथ भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानान्तरण या प्रोन्नति या मजदूरी के मामलों में भेदभाव नही किया जाएगा।

(7) किसी महिला से प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे के बीच के समय के सिवाय किसी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

परंतु जहां श्रम संसाधन विभाग या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई पदाधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी दुकान या प्रतिष्ठान में आश्रय, विश्राम कक्ष, रात्रि शिशु कक्ष, महिला शौचालय, उनकी गरिमा, सम्मान और सुरक्षा का पर्याप्त संरक्षण, यौन उत्पीड़न से संरक्षण और दुकान या प्रतिष्ठान से उनके निवास स्थान तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, तो वह, अधिसूचना द्वारा महिला कर्मकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उसे ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, रात्रि नौ बजे से प्रातः छह बजे के बीच कार्य करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

7. श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा हेतु नियोक्ता का दायित्व।–

(1) प्रत्येक नियोक्ता, कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा (जिसके अंतर्गत स्वच्छता, प्रकाश, वायु संवातन और आग का निवारण भी है) से संबंधित ऐसे उपाय करेगा, जो विहित किए जाएं।

(2) प्रत्येक नियोक्ता दुकान या प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मकारों का नियमित और समुचित पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने के लिए और उपधारा (1) के अधीन स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का उत्तरदायी होगा।

8. कार्य के घंटे।–

(1) किसी व्यस्क कर्मकार से किसी दुकान या प्रतिष्ठान में किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे और एक दिन में नौ घंटे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, अथवा

(i) किसी दिन नौ घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक, किसी सप्ताह में छह दिन काम करता है;

(ii) किसी दिन दस घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक, किसी सप्ताह में पांच दिन काम करता है;

(iii) किसी दिन साढ़े ग्यारह घंटे से अधिक, किसी सप्ताह में चार दिन काम करता है, या सवेतन छुट्टियों पर काम करता है

–तो वह ओवरटाइम काम के संबंध में अपनी सामान्य मजदूरी दर से दोगुनी दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा।"

तथा किसी कर्मकार से निरंतर पांच घंटे से अधिक कार्य करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि उसे आधे घंटे से अधिक का विराम न दे दिया गया हो;

परंतु अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य की दशा मे कार्य के घंटे या साप्ताहिक विश्राम में सुकारक की पूर्व अनुज्ञा से छूट दी जा सकेगी।

(2) किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में किसी पाली में कार्य के घंटो की कुल संख्या, जिसके अंतर्गत विश्राम अंतराल भी शामिल है, वहां विस्तृति बारह घंटों से अधिक नहीं होगी।

(3) किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटों से अधिक किये गये कार्य के घंटों को अतिकालिक समझा जाएगा और कुल अतिकालिक घंटे तीन मास की अवधि में एक सौ चौवालीस घंटों से अधिक नहीं होगी।

(4) राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बनाएगी,–

(क) उपधारा (1) के अध्यधीन कार्य के उन घंटों की संख्या नियत करना, जिनसे दुकान या प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मकार के लिए एक या अधिक विनिर्दिष्ट अंतरालों सहित सामान्य कार्य दिवस का गठन होगा;

(ख) सात दिन की प्रत्येक अवधि में विश्राम का दिन का उपबंध करना, जो दुकान या प्रतिष्ठान में नियोजित सभी कर्मकारों को अनुज्ञात होगा और विश्राम के ऐसे दिनों के संबंध में पारिश्रमिक का प्रावधान किया जायेगा।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध ऐसी दुकान या प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मकारों के निम्नलिखित वर्ग के संबंध में केवल उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन लागू होंगे, जो विहित किए जाएं, अर्थात्:–

(क) अत्यावश्यक कार्य या किसी आपात, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता या जिसे नहीं रोका जा सकता, में लगे कर्मकार;

(ख) प्रारंभिक प्रकृति या पूरक काम में लगे कर्मकार, जिसे आवश्यक रूप से नियमों में प्रावधानित कार्य के सामान्य घंटों के पूर्व या पश्चात् किया जाना है;

(ग) किसी ऐसे कार्य में लगे कर्मकार जो तकनीकी कारणों से दिन समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना है;

(घ) ऐसे कार्य में लगे कर्मकार, जो प्राकृतिक शक्तियों के लिए अनियमित कार्यवाहियों पर निर्भर समयों के सिवाय नहीं किया जा सकता; और

(ड.) अतिकुशल कर्मकार (ऐसे कर्मकार, जो सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान तथा विकास प्रभाग के प्रतिष्ठानों में कार्यरत् हैं)।

9. अधिकाल।– जहां किसी कर्मकार से किसी दिन में नौ घंटे और एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, वहां वह मजदूरी की सामान्य दर से दुगुनी दर से मजदूरी या ऐसी उच्चतर राशि का हकदार होगा, जो विहित की जाए।

10. कार्य पाली।–

(1) दुकान या प्रतिष्ठान का कोई विभाग या विभाग का कोई प्रभाग नियोक्ता के विवेकानुसार एक पाली से अधिक में कार्य कर सकेगा और यदि एक से अधिक पाली में कार्य किया जाता है, तो कर्मचारियों के बीच बिना भेदभाव किये कर्मकार से नियोक्ता के विवेकानुसार किसी भी पाली में कार्य करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

(2) किसी दुकान या किसी प्रतिष्ठान में किसी सप्ताह में सभी दिन ऐसी शर्तों के अध्यधीन कार्य किया जा सकेगा कि प्रत्येक कर्मकार को विश्राम के कम से कम चौबीस क्रमिक घंटे का साप्ताहिक अवकाश अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) किसी सप्ताह में किसी पाली में सभी वर्ग के कर्मकारों के कार्य की अवधि और घंटों की सूचना सभी कर्मकारों को लिखित में दी जाएगी और सुकारक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा भेजी जाएगी।

(4) जहां किसी कर्मकार से विश्राम के दिन कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, वहां वह मजदूरी के उसकी सामान्य दर से दुगुनी दर पर मजदूरी का हकदार होगा।

11. बर्खास्तगी या डिस्चार्ज का नोटिस।–

(1) कोई भी नियोजक किसी भी कर्मचारी को, जो कम से कम छः महीने तक लगातार नियोजन मे रह चुका हो, समुचित कारण (बंदी, वित्तीय तनाव, तकनीकी परिवर्तन, आदि) के बिना और न्यूनतम एक माह की नोटिस अथवा नोटिस के बदले एक माह की मजदूरी दिये बिना बर्खास्त या डिस्चार्ज या अन्यथा सेवा–मुक्त नहीं करेगा।

परंतु जहाँ राज्य सरकार द्वारा यथाविहित कदाचार के आरोप के फलस्वरूप जो तत्सम्बन्धी जाँच में अभिलिखित संतोषजनक साक्ष्य पर आधारित समर्थित हो, किसी कर्मचारी को सेवामुक्त किया जायेगा, वहाँ ऐसी नोटिस आवश्यक नहीं होगी।

परंतु जब कोई कर्मचारी एक वर्ष या अधिक समय तक लगातार नियोजन में रहता रहा हो और उसकी सेवा कदाचार से भिन्न किसी आरोप पर समाप्त की जाये तो डिस्चार्ज से पहले उसे ऊपर बताई जैसी विहित नोटिस या नोटिस के बदले वेतन के अतिरिक्त पूरा किये गये प्रत्येक सेवा वर्ष और छह माह से अधिक के किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन की औसत मजदूरी के बराबर प्रतिपूर्ति अदाय की जायेगी।

(2) बर्खास्त या डिस्चार्ज या अन्यथा नौकरी से हटाया गया कोई कर्मचारी निम्नांकित आधारों या इसमें से किसी एक आधार पर बर्खास्तगी या डिस्चार्य या अन्यथा सेवा–समाप्ति के आदेश की प्राप्ति से छः माह के भीतर विहित प्राधिकारी के पास विहित रीति से लिखित परिवाद कर सकेगाः–

(i) कि उसको सेवा से हटाने के लिए कोई समुचित कारण नहीं था; या

(ii) कि उपधारा (1) में अपेक्षित नोटिस उसे नहीं दी गई; या

(iii) कि वह नियोजक द्वारा यथा–धारित किसी कदाचार का दोषी नहीं था; या

(iv) कि सेवा समाप्ति से पूर्व उसे उपधारा (1) में यथाविहित प्रतिपूर्ति नहीं की गई।

(3) यदि विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि विहित समय के भीतर आवेदन पत्र नहीं दाखिल किये जा सकने का पर्याप्त कारण था तो वह परिवाद पत्र दाखिल किये जाने में विलम्ब को क्षांत कर सकेगा।

(4) (क) विहित प्राधिकारी उक्त परिवाद के सम्बन्ध में नियोजक को नोटिस देगा, पक्षकारों द्वारा दिये गए साक्ष्य को संक्षेप में अभिलिखित करेगा, उनकी सुनेगा और ऐसी जाँच करने के बाद जैसी वह आवश्यक समझे, कारण बताते हुए आदेश पारित करेगा।

(ख) ऐसा आदेश पारित करने में विहित प्राधिकारी को कर्मचारी को पुर्नस्थापन या मुद्रा प्रतिपूर्ति या दोनों के रूप में सहाय्य देने का अधिकार होगा।

(5) विहित प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और कर्मचारी तथा नियोजक दोनों के लिए बाध्यकारी होगा।

अध्याय IV
छुट्टी और अवकाश

12. छुट्टी और अवकाश।—

(1) प्रत्येक कर्मकार को साप्ताहिक अवकाश मजदूरी सहित अनुज्ञात होगाः
परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा दुकानों और प्रतिष्ठानों के विभिन्न वर्ग या क्षेत्रों के लिए भिन्न–भिन्न दिनों को साप्ताहिक अवकाश के रूप में नियत कर सकेगी।

(2) प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में वेतन के साथ सात दिनों की बीमारी की छुट्टी का हकदार होगा। बर्शेत कि छुट्टी की अवधि के लिए नियोजक को चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(3) प्रत्येक कर्मकार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में मजदूरी के साथ आठ दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा, जिसे कर्मकार के खाते में तिमाही आधार पर जमा किया जाएगा।

(4) प्रत्येक ऐसा कर्मकार, जिसने एक कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी दुकान या प्रतिष्ठान में लगातार दो सौ चालीस दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए कार्य किया है, उसे पश्चातवर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा पूर्व कैलेंडर वर्ष के दौरान किए गए कार्य के प्रत्येक बीस दिन के लिए एक दिन की दर से संगणित संख्या के दिनों के लिए मजदूरी सहित छुट्टी की अनुज्ञा दी जाएगी।

(5) प्रत्येक कर्मकार को अधिकतम पैंतालीस दिन तक अर्जित छुट्टी संचित करने की अनुज्ञा होगी।

(6) जहां नियोक्ता पन्द्रह दिन पहले आवेदन की गई देय छुट्टी से इनकार करता है, वहां कर्मकार को पैंतालीस दिन से अधिक की छुट्टी को भुनाने का अधिकार होगाः
परंतु यदि कोई कर्मकार इस धारा के तहत छुट्टी का हकदार है, उसे छुट्टी की अनुमति देने से पहले उसके नियोक्ता द्वारा पदमुक्त कर दिया जाता है या यदि उसने छुट्टी के लिए आवेदन किया है और उसे छुट्टी देने के इंकार कर दिया गया है तो वह सेवानिवृति, त्यागपत्र, मृत्यु या स्थायी अपंगता के कारण अपना नियोजन छोड़ देता है, तो नियोक्ता उसको/उसके आश्रित (तों) को देय छुट्टी की अवधि के लिए कुल वेतन का भुगतान करेगा।

(7) कोई कर्मकार एक कैलेंडर वर्ष में आठ सवैतनिक उत्सव अवकाश का हकदार होगा, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गॉधी जयन्ती और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस तथा पांच ऐसे अन्य उत्सव अवकाश, जिस पर वर्ष के प्रारंभ से पहले नियोक्ता और कर्मकारों के बीच सहमति हो।

(8) उपधारा (4) के प्रयोजन के लिए,—
- (क) करार या संविदा द्वारा अथवा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश के मॉडल स्थाई आदेशों के तहत अनुमति के अनुसार किसी भी दिन की छुट्टी;
- (ख) महिला कर्मकार की दशा में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रसूति अवकाश;
- (ग) उस वर्ष से पूर्व में अर्जित अवकाश, जिसका उपभोग किया गया है; या
- (घ) कर्मकार के नियोजन से उद्भूत दुर्घटना द्वारा और उसके नियोजन के दौरान कारित हुई अस्थायी असमर्थता के कारण कर्मकार की अनुपस्थिति, को ऐसे दिनों के रूप में समझा जाएगा, जिसमें कर्मकार ने दो सौ चालीस या अधिक दिन की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए कर्मकार ने दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य किया है, किन्तु वह उन दिनों के लिए छुट्टी अर्जित नहीं करेगा।

(9) उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी सभी अवकाश दिनों के अतिरिक्त होगी, चाहे छुट्टी की अवधि के दौरान या उसके आरंभ में या उसके पश्चात् आते हों।

अध्याय V
कल्याणकारी उपबंध

13. श्रमिकों के लिए सुरक्षित पेयजल।— प्रत्येक नियोक्ता दुकान या प्रतिष्ठान में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक रूप से अवस्थित उपयुक्त स्थानों पर पेयजल के पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था और अनुरक्षण के लिए प्रभावी इंतजाम करेगा।

14. श्रमिकों के लिए शौचालय और मूत्रालय।— प्रत्येक नियोक्ताए पुरूष और महिला के लिए ऐसे पर्याप्त शौचालय और मूत्रलाय की व्यवस्था करेगा, जो विहित किए जाएं, जो इतने सुविधाजनक रूप से अवस्थित होगें, जो दुकान या प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मकारों की पहुंच में हों:

परंतु उस दशा में, जब स्थान की कमी या अन्यथा कारण से किसी दुकान या प्रतिष्ठान में ऐसा करना संभव नहीं हो, तो कई नियोक्ता सामूहिक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेंगें।

15. शिशु देखभाल केंद्र।– प्रत्येक ऐसी दुकान या प्रतिष्ठान में, जहां तीस या अधिक महिला कर्मकार या पचास या अधिक कर्मकार सामान्तया नियोजित हैं, वहां ऐसी महिला कर्मकारों के बालकों के उपयोग के लिए शिशु कक्ष के रूप में उपयुक्त कक्ष या कक्षों की व्यवस्था और अनुरक्षण किया जाएगाः

परंतु यदि दुकानों या प्रतिष्ठानों का कोई समूह एक किलोमीटर की परिधि के भीतर सामूहिक शिशु कक्ष की व्यवस्था का विनिश्चय करता है तो मुख्य सुकारक द्वारा, आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसकी अनुज्ञा देगा।

16. प्राथमिक उपचार।– प्रत्येक नियोक्ता कार्य स्थल पर ऐसी प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, जो विहित की जाए।

17. कैंटीन।– राज्य सरकार, नियोक्ता से ऐसी दुकान या प्रतिष्ठान में, जिसमें सौ से अन्यून, कर्मकार नियोजित या सामान्यतया नियोजित है, उसमें कर्मकारों के उपयोग के लिए कैंटीन की व्यवस्था और अनुरक्षण की अपेक्षा करेगी।

परंतु दुकान या प्रतिष्ठानों का कोई समूह सामूहिक कक्ष की व्यवस्था का निश्चिय करता है तो मुख्य सुकारक द्वारा, आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुज्ञा देगा।

अध्याय VI
सुकारक और उनकी शक्तियां और कृत्य

18. सुकारक और उनकी शक्तियां और कृत्य।–

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विहित अर्हता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को सुकारक नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसी स्थानीय सीमाएं समनुदेशित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे :

परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मुख्य सुकारक नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन मुख्य सुकारक को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्य भर में किसी सुकारक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) राज्य सरकार दुकानों और प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए ऐसी स्कीम विहित कर सकेगी, जिसमें वेब आधारित निरीक्षण अनुसूची को सृजित करने का उपबंध होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक सुकारक और मुख्य सुकारक को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा–2 की उपधारा–28 के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा और वह शासकीय रूप में ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ होगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(4) ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जो विहित की जाए, एक सुकारक, उन स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है–

(i) नियोक्ताओं और कर्मकारों को सलाह देना और उन्हें ऐसी जानकारी प्रदान करना, जो इस अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन करने के लिए आवश्यक समझी जाय;

(ii) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निरीक्षण योजना के अनुसार दुकान और प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर सकेगा और–

(क) ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा, जो दुकान या प्रतिष्ठान के किसी परिसर में पाया जाता है और जिसे दुकान या प्रतिष्ठान का कर्मकार होने का विश्वास करने के बारे में सुकारक के पास युक्तियुक्त कारण है;

(ख) किसी भी व्यक्ति से ऐसी कोई भी सूचना अथवा शिकायत देने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे व्यक्तियों के नामों और पतों की सूचना देने की शक्ति है;

(ग) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी भुगतान के अभिलेख, मजदूरी के अभिलेख या सूचना या उसके भागों की तलाशी ले सकेगा, उनको अभिगृहित कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा, जिसे सुकारक, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सुसंगत समझता है और जिसका सुकारक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह नियोक्ता द्वारा किया गया है;

(घ) राज्य सरकार के समक्ष ऐसे दोष या दुरूपयोग को ध्यान में लाना जो फिलहाल लागू कानून के दायरे में नहीं है।

(ड.) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो विहित की जांएः

परंतु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को उसे अपराध में फंसाने वाले किसी प्रश्न का उत्तर या कोई साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन सुकारक द्वारा अपेक्षित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने के लिए अपेक्षित किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 210 और धारा 211 के अन्तर्गत इस प्रकार देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

(6) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंध उपधारा (4) के खंड (ii) के उपखंड (ग) के अधीन ऐसी तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे, जैसे वे उक्त संहिता की धारा 97 के अधीन जारी किसी वारंट के प्राधिकार के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण पर लागू होते हैं।

अध्याय VII
अभिलेख और विवरणियां

19. अभिलेख।–

(1) प्रत्येक नियोक्ता ऐसे रजिस्टर और अभिलेख रखेगा, जो विहित किए जाएं।

(2) अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या मैनुअली अभिरक्षित की जा सकेगीः

परंतु किसी सुकारक द्वारा निरीक्षण के समय, यदि ऐसे अभिलेख की सपठनीय प्रति की मांग की जाती है, तो वह नियोक्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रस्तुत की जाएगी।

20. विवरणियाँ।– किसी दुकान या प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता वार्षिक रिटर्न ऐसे प्ररूप और रीति में (जिसके अंतर्गत ईलेक्ट्रॉनिक रूप भी है) ऐसे प्राधिकारी को देगा, जो विहित किए जाएं।

अध्याय VIII
अपराध और शस्तियाँ

21. दंड।–

(1) जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित होगा जिसे पच्चीस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे उप–धारा (1) के तहत दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, फिर से उसी प्रावधान के उल्लंघन या अनुपालन में विफलता से जुड़े अपराध का दोषी पाया जाता है, तो वह बाद में दोषी पाए जाने पर बीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा जिसे पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

22. नियोक्ता की गलती से हुए कार्यस्थल दुर्घटनाओं के लिए दंड।– जैसा इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उसके सिवाय जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन का दोषी अभिनिर्धारित किए जाने पर, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मकार को गंभीर शारीरिक क्षति या उसकी मृत्यु कारित करने वाली कोई दुर्घटना हुई है, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, दो लाख रूपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रूपए तक हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

23. सुकारकों को बाधित करने, आदि पर दंड।–यदि कोई जानबूझकर इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सुकारक को बाधित करता है या सुकारक को कोई

निरीक्षण, परीक्षण, पूछताछ या जांच करने के लिए कोई उचित सुविधा देने से इनकार करता है या जानबूझकर उपेक्षा करता है या इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में रखे गए कोई रजिस्टर या अन्य कागजात प्रस्तुत करने से इनकार करता है या इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के अनुसरण में सुकारक के समक्ष कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को उपस्थित होने या उसके द्वारा जांच किए जाने से रोकने का प्रयास करता है, तो दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा जो पच्चीस हजार रुपये तक बढाया जा सकता है।

24. अपराधों की संज्ञान।–

(1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक उस तारीख से, जिसको अभिकथित अपराध का किया जाना सुकारक के संज्ञान में आए, तीन मास के भीतर इस बाबत शिकायत नहीं कर दी गई हो और शिकायत सुकारक द्वारा फाइल नहीं की गई हो;

परंतु जहाँ अपराध किसी सुकारक द्वारा किए गए किसी लिखित आदेश की अवज्ञा का है वहां उसकी शिकायत उस तारीख से, जिसको अपराध किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर की जा सकेगी।

(2) कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई कर सकेगा।

25. अपराधों का शमन।–

(1) इस अधिनियम या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी द्वारा दस हजार रुपये के भुगतान पर विहित तरीके से समझौता किया जा सकता है।

(2) यदि एक ही अपराधी दूसरी बार अपराध करता है, तो बीस हजार रुपये के भुगतान पर विहित तरीके से समझौता किया जा सकता है। यदि वही अपराधी तीसरी बार अपराध करता है तो कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध का शमन किए जाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।

(4) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(5) यदि किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन को संस्थित किए जाने के पहले किया जाता है, तो ऐसे अपराधी के विरूद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(6) जहां किसी भी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा
उस न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा, जिसमें ऐसा अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन का इस प्रकार ध्यान में लाए जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(7) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल होता है, तो ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा।

(8) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नही।

अध्याय IX
प्रकीर्ण

26. इस अधिनियम के तहत कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा।– इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी लोक सेवक या केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा में ऐसे किसी लोक सेवक के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगीं।

27. इस अधिनियम के अंतर्गत छूट।– यदि राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित सशक्त कोई अधिकारी, किसी दुकान या प्रतिष्ठान या उसके किसी वर्ग या किसी नियोक्ता या कर्मकार या नियोक्ता या कर्मकारों के वर्ग को, जिन्हें वह अधिनियम लागू होता है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, किसी ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह ठीक समझे इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकेगी।

28. अधिनियम की अन्य मौजूदा कानूनों के साथ पूरक प्रकृति।– इस अधिनियम उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

29. नियम बनाने की शक्ति।–

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) प्राधिकारी, जिसको और प्ररूप तथा रीति, जिसमें धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया जाएगा, उपधारा (3) के अधीन श्रमिक
पहचान संख्या तथा उपधारा (4) के अधीन श्रमिक पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की रीति :

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा (जिसके अंतर्गत स्वच्छता, प्रकाश, संवातन और आग की रोकथाम भी है) के संबंध में नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले उपाय;

(ग) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन नियमों द्वारा उपबंधित किए जाने वाले विषय;

(घ) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन वह शर्त, जिसके अध्यधीन कर्मकारों के कतिपय वर्ग को उस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे;

(ड.) धारा 9 के अधीन मजदूरी की उच्चतर रकम की दर;

(च) धारा 14 के अधीन पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों का उपबंध तथा धारा 16 के अधीन प्राथमिक उपचार सुविधा का उपबंध;

(छ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन सुकारक की अर्हताएं, वे शर्ते, जिनके अध्यधीन सुकारक उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियों का और उपधारा (4) के खंड (ii) के उपखंड (ड.) के अधीन प्रयोक्तव्य अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ज) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख;

(झ) धारा 20 के अधीन वार्षिक विवरण दिए जाने का प्रारूप और रीति (जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप भी है) तथा वह प्राधिकारी, जिसको ऐसी विवरणी दी जाएगी;

(ञ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन की रीति और उपधारा (4) के अधीन ऐसे शमन के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति;

(ट) कोई अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रत्येक नियम को, इसके लागू होने के तुरंत बाद राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।–

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कटिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के तहत किया गया प्रत्येक आदेश, लागू होने के पश्चात् जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

31. निरसन एवं व्यावृति।–

(1) बिहार दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई किसी कार्रवाई को, जहां तक ऐसी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) इस धारा में विशिष्ट विषयों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने वाला नहीं माना जायेगा।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य के दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कामगारों के नियोजन एवं सेवाशर्तो को विनियमित करने तथा इसे विनिर्दिष्ट करने हेतु बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 के स्थान पर बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) विधयेक, 2025 लाये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) विधेयक, 2025 में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के नियोजक हेतु दायित्वों का वृहद निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष के सभी 365 दिन अपने प्रतिष्ठान के संचालन की अनुमति, महिलाओं को रात्रि पाली में सशर्त काम करने की अनुमति, नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानातरण, प्रशिक्षण आदि महत्वपूर्ण मामलों में महिलाओं को लैंगिक आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता पूर्ण कार्य स्थल की उपलब्धता, अवकाश संबंधी प्रावधान का समावेश, स्वच्छ पेयजल, शिशु कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा, कैन्टीन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

विधेयक के अन्तर्निहित अधिनियम के लागू होने से राज्य में रोजगार की पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे एवं व्यापार के सरलीकरण की दिशा में राज्य अग्रसर होगा एवं साथ ही साथ राज्य अन्य राज्यों के साथ विकासोन्मुख कदम ताल करेगा। विधेयक में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के लिए उदारीकरण संबंधी कई मानकों को भी समाहित किया गया है।

अतः यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इसका अभीष्ठ है।

(संतोष कुमार सिंह)
भार–साधक–सदस्य

पटना,
दिनांक–23.07.2025

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1279-571+10-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in